झारखण्ड सरकार

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

चायबगान, कालीनगर, नामकोम, राँची–834010.
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

विवरणिका

विज्ञापन संख्या–20/2016
स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा– 2016

{PGTTCE-2016}

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–8790 (अनु0) दिनांक–07.010. 2016 के द्वारा अग्रसारित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) विभाग के पत्रांक–1307 दिनांक–01.07.2016 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में **स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2016** के लिये **ऑन–लाईन (Online)** आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार अर्हता अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते है। ऑन–लाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट– **www.jssc.in** पर लॉगईन करके समर्पित किया जा सकता है।

2. रिक्तियों का विवरण :– (I) सीधी भर्त्ती

क्रम सं0	सेवा का नाम विभाग का नाम	पदनाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या				
				कुल रिक्ति	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण			
					महिला	कम दृष्टि	मूक बाधिर	शारीरिक विकलांग एवं सेरेब्रल पालसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) विभाग	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक,रसायन शास्त्र	1.अनारक्षित/सामान्य	43	04	01	01	01
			2.अनुसूचित जनजाति	22				
			3.अनुसूचित जाति	09				
			4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)	07				
			5.पिछड़ा वर्ग (अनुसूची –2)	05				
2	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) विभाग	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, भौतिक शास्त्र	**योग :–**	**86**	**04**	**01**	**01**	**01**
			1 अनारक्षित/सामान्य	43	04	01	01	01
			2.अनुसूचित जनजाति	22				
			3.अनुसूचित जाति	09				
			4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)	07				
			5.पिछड़ा वर्ग (अनुसूची –2)	05				
			योग :–	**86**	**04**	**01**	**01**	**01**
3.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) विभाग	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, इतिहास	1 अनारक्षित/सामान्य	43	04	01	01	01
			2.अनुसूचित जनजाति	22				
			3.अनुसूचित जाति	09				
			4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)	07				
			5.पिछड़ा वर्ग (अनुसूची –2)	05				
			योग :–	**86**	**04**	**01**	**01**	**01**
			सकल योग :–	**258**	**12**	**03**	**03**	**03**

(II) झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अहर्त्ता प्राप्त 03 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिक्षकों की स्नाताकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति

क्रम सं0	सेवा का नाम विभाग का नाम	पदनाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या				
				कुल रिक्ति	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण			
					महिला	कम दृष्टि	मूक बाधिर	शारीरिक विकलांग एवं सेरेब्रल पालसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) विभाग	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक,रसायन शास्त्र	1.अनारक्षित/सामान्य	43	04	01	01	01
			2.अनुसूचित जनजाति	22				
			3.अनुसूचित जाति	08				
			4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)	07				
			5.पिछड़ा वर्ग (अनुसूची –2)	05				
			योग :–	**85**	**04**	**01**	**01**	**01**
2	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) विभाग	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, भौतिक शास्त्र	1 अनारक्षित/सामान्य	43	04	01	01	01
			2.अनुसूचित जनजाति	22				
			3.अनुसूचित जाति	08				
			4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)	07				
			5.पिछड़ा वर्ग (अनुसूची –2)	05				
			योग :–	**85**	**04**	**01**	**01**	**01**
3.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) विभाग	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, इतिहास	1 अनारक्षित/सामान्य	43	04	01	01	01
			2.अनुसूचित जनजाति	22				
			3.अनुसूचित जाति	08				
			4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)	07				
			5.पिछड़ा वर्ग (अनुसूची –2)	05				
			योग :–	**85**	**04**	**01**	**01**	**01**
			सकल योग :–	**255**	**12**	**03**	**03**	**03**

वैसें शिक्षक आवेदन देने के पात्र नहीं होगें जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अथवा अपाराधिक कार्यवाही लंम्बित हो या जिनके विरुद्ध संसूचित शस्ति प्रभावी हो।

3. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व आवेदक यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर विवरणी में प्रकाशित सभी शर्त्तों को वे पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नही करता

है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पदो पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा।

4. सीधी भर्त्ती एवं झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अर्हता प्राप्त शिक्षकों से भरी जाने वाली स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की रिक्तियॉ एक ही परीक्षा के माध्यम से भरी जायेंगी। तत्संबंधी विकल्प आवेदन पत्र में उपलब्ध रहेगा तथा सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अर्हत्ता प्राप्त शिक्षक विवरणिका की कंडिका– 7 एवं 8 में विहित शर्त्तों के अध्यधीन दोंनो ही माध्यमों से नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑन लाईन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। दोनों ही माध्यमों से भर्त्ती हेतु आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन देते है वैसी स्थिति में भी उन्हें एक परीक्षा शुल्क देना होगा।

5. कंडिका– 2 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् हैः–

क्रम सं0	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4
1.	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, रसायन शास्त्र	वेतन बैंड पी0बी0II– रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन– रू0 4800	**(I) विहित शैक्षणिक योग्यताः–** ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय, जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी। **(II) विहित तकनीकि योग्यताः –** मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री परन्तु वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हों तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जायेगी परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण का परीक्षाफल झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात आयोग द्वारा
2.	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, भौतिक शास्त्र	वेतन बैंड पी0बी0I– रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन– रू0 4800	
3.	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, इतिहास	वेतन बैंड पी0बी0II– रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन–रू0 4800	

			उसकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई जा सकेगी।

6. शैक्षणिक योग्यता का निर्धारणः– शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा।

7. अनुभव :– सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 03 वर्षों का शैक्षणिक कार्यानुभव परन्तु, वैसे शिक्षक आवेदन देने के पात्र नहीं होगें जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अथवा आपराधिक कार्यवाही लंम्बित हो या जिनके विरुद्ध संसूचित शास्ति प्रभावी हो। अनुभव एवं अन्य स्वच्छता संबंधी प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा एवं इस प्रमाण पत्र की संख्या, तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार की प्रविष्ट आवेदन पत्र में विहित स्थान पर संबंधित शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा की जायेगी।

8. <u>आयु सीमा</u>ः– उम्र की गणना दिनांक– 01.01.2016 के आधार पर की जायेगी।

न्यूनतम उम्र – 21 वर्ष ।

अधिकतम उम्र :–

(क) अनारक्षित/सामान्य– 40 वर्ष।

(ख) महिला (अनारक्षित, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 2)– 43 वर्ष।

(ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)– 42 वर्ष।

(घ) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरूष एवं महिला)– 45 वर्ष

(ड़) सभी कोटि के दिव्यांग (निःशक्त) अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 (पॉच) वर्षों की छूट दी जायेगी।

9. <u>आरक्षण</u>ः–

(I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(II) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार अनारक्षित/सामान्य वर्ग के माने जायेंगे।

(III) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(IV) जाति प्रमाण पत्र– जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित–प्रपत्र में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।

(V) अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1 तथा पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 के लिए दिनांक– 31.03. 2013 के पश्चात् निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(VI) जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा करने की स्थिति में संबंधित कॉलम के नीचे एक ड्राप बॉक्स खुलेगा जिसमें आवेदक अपने जाति प्रमाण पत्र की संख्या, तिथि तथा उसे निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करेंगे।

जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट– I एवं II के रूप में विवरणिका में संलग्न है।

सक्षम स्तर से भिन्न तथा विवरणिका के साथ संलग्न प्रपत्र से भिन्न किसी प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के साथ संलग्न प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में तथा जाति प्रमाण पत्रों की गलत संख्या/तिथि उसे जारी करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करने पर ऐसे आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा जिसके लिए संबंधित आवेदक ही उत्तरदायी होंगे।

10. **स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र** :– झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी महिला आवेदकों द्वारा अपने दावे के समर्थन में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र सं०–4650, दिनांक 02.06.2016 द्वारा विहित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक–02.06.2016 अथवा इसके उपरांत जारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र की प्रविष्टि आवेदन पत्र में संबंधित आवेदकों द्वारा की जायेगी। प्रमाण पत्र का मानक प्रारूप परिशिष्ट - III के रूप में विवरणिका में संलग्न है।

11. **वैसे व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे जिन्होंने** :–

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित है; या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी से विवाह या विवाह का अनुबंध किया हो;

(ग) विवाह के समय दहेज दिया है या लिया है।

12. **आवेदन पत्र को भेजना :–** ऑन–लाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निदेश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में प्रविष्ट सूचनाओं से पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेवसाईट www.jssc.in पर जाएँ एवं Online Application for **PGTTCE-2016** पर Click करें तथा आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र भरने के क्रम में नियुक्ति हेतु पद का विकल्प अपनी शैक्षणिक योग्यतानुसार देना आवश्यक होगा।

13. **अभ्यर्थियों का विषय के लिए विकल्प** :– अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्णता के विषय के अनुसार पद का विकल्प दिया जायेगा तथा उक्त अभ्यर्थी को उनके विकल्प के अनुसार यथा रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं इतिहास में से किसी एक विषय की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयोग द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा अर्थात स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विषय में उत्तीर्ण अभ्यर्थी मात्र रसायन शास्त्र की परीक्षा में सम्मिलित होंगे तथा इसी तरह भौतिक शास्त्र एवं इतिहास विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी क्रमशः भौतिक शास्त्र तथा इतिहास विषय की परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

14. **परीक्षा का स्वरूपः–**

14.1 परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :– विषयवार संसूचित रिक्ति से अभ्यर्थियों की संख्या 15 गुणा से अधिक होने अथवा अभ्यर्थियों की कुल संख्या 15 हजार से अधिक होने पर (दोनों में से जो अधिक हो) परीक्षा निम्नलिखित दो चरणों में ली जायेगी –

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

दोनों परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी।

(क) प्रारम्भिक परीक्षा :– प्रारम्भिक परीक्षा में मात्र एक पत्र की परीक्षा सामान्य ज्ञान की होगी जिसमें पूर्णांक 450 होगा तथा प्रश्नों की संख्या 150 होगी। इस परीक्षा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित है। सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

इसके पत्र में निम्नलिखित विषयों के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगेः–

(क) सामान्य अध्ययन	–	40 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जॉच	–	20 प्रश्न
(ड़) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान	–	20 प्रश्न
(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	–	30 प्रश्न
कुल	–	150 प्रश्न

टिप्पणीः–

(1) इस परीक्षा में कोई न्यूनतम अर्हत्तांक नहीं होगा।

14.2 प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

(सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययन :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जॉच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामायिक विषय – वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। झारखण्ड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान–खनिज,

उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियॉ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(ख) सामान्य विज्ञान – सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से सम्बन्धित विषय रहेंगे जैसा कि एक सुशिक्षित ब्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग) सामान्य गणित – इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) मानसिक क्षमता जॉच – इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे । इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं – सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्य समृति, विभेद अवलोकन, सम्बद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट ब्याख्या इत्यादि।

(ड़) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान (Basic Knowledge of Computer):– इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी के सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(च) **झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञानः**– इसमें झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान–खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाएँ, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियॉ, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

14.3 मुख्य परीक्षा

(क) मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित 02 पत्र होंगेः–

(1) सामान्य ज्ञान एवं हिन्दी भाषा ज्ञानः–

इस परीक्षा की अवधि 03 घंटे की होगी जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ एवं बहु विकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक दिया जायेगा एवं किसी गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक अर्थात 0.333 अंक की कटौती की जायेगी। इस विषय की परीक्षा में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे जिसमें निम्नलिखित खण्ड होंगेः–

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान के अधीन हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।

(ख) सामान्य ज्ञान के अधीन सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जॉच, कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान तथा झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान के प्रश्न रहेंगे।

(2) **द्वितीय पत्र की परीक्षा में उस विषय की परीक्षा ली जायेगी जिस विषय के संदर्भ में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति की जानी है अर्थात भौतिक शास्त्र के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए भौतिक शास्त्र की परीक्षा ली जायेगी। तदनुसार इतिहास एवं रसायन शास्त्र के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए क्रमशः इतिहास रसायन शास्त्र की परीक्षा ली जायेगी। इस परीक्षा के प्रश्न स्नातक स्तरीय होगें तथा परीक्षा की अवधि 03 घंटे की होगी। इस परीक्षा में** 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहु विकल्पीय उत्तर आधारित रहेंगे प्रत्येक सही उत्तर

के लिए 02 अंक दिया जायेगा एवं किसी गलत उत्तर के लिए 2/3 अंक अर्थात 0.666 अंक की कटौती की जायेगी।

5. मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र – 1 अर्हक (Qualifiying) होगा। इस परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों का प्रश्न पत्र–1 में प्राप्तांक 33 प्रतिशत से कम होगा उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित करते हुए उनके प्रश्न पत्र–2 के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
6. मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 एवं 2 में प्राप्तांक को अगले अथवा पिछले अंक में पूर्णांकित नहीं किया जायेगा ।
7. मेधा सूची में स्थान पाने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र 2 में 45% अंक तथा अन्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

14.4 मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम :–

पत्र – 1 (सामान्य ज्ञान एवं हिन्दी भाषा ज्ञान)

(I) सामान्य ज्ञान

(क) सामान्य अध्ययन :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते है। सम–सामायिक विषय– वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना।

झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ख) सामान्य विज्ञान :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समक्ष एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेगें, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग) सामान्य गणित :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेगें। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वी॰ कक्षा स्तर के प्रश्न रहेगें।

(घ) मानसिक क्षमता जाँच :– इसमें शब्दिक एवं गैर शब्दिक दोनो प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते है– सादृष्य समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ॰) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान (Fundamenal knowledge of Computer) :– इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एम॰ एस॰ विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम, एम॰ एस॰ ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते है।

(च) झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाएँ, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ,, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(II) हिन्दी भाषा ज्ञानः–
हिन्दी भाषा ज्ञान के अधीन हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।

प्रश्न पत्र – 2

<u>विषय रसायन शास्त्र (Chemistry)</u>

1. Atomic structure, Periodic properties and chemical bonding — Idea of de Broglie matter waves, Heisenberg uncertainty principle, atomic orbitals, Schrodinger wave equation, significance of Ψ and Ψ^2, quantum numbers, radial and angular wave functions and probability distribution curves, shapes of S, p, and d orbitals, Aufbau and Pauli's exclusion principles, Hund's rule, electronic configuration classification of elements as s, p, d and f-blocks.

Periodic tables and periodic properties (atomic and ionic radii, ionization energy, electron affinity, electronegativity) and their trends in periodic table, Their applications in chemical bonding.

Covalen bonding. V.B. Theory, VSEPR Theory, M O. Theory, homonuclear and heteronuclear diatomic molecules, bond order and magnetic properties.

Resonance, hydrogen bonds and vimder Waals forces. Ionic solids - Born-Haber cycle, Fajaris rule.

2. Gaseous states — Postulates of kinetic theory of gases, deviation from ideal behaviour van der Waal's equation of state. Critical temperature, pressure and volume. Liquification of gases, Critical constants and vander Waals constants, the law of corresponding states, reduced equation of state Molecular velocities — r:m.s. velocity, average velocity, most probable velocity. Maxwell's distribution of molecular velocities.

3. Solid State — Space lattice, Unit cell. Laws of crystallography. X-ray diffraction by crystals. Bragg's equation coordination number radius ratio rule, detects in crystals and their magnetic and electric behaviour semi-conductors and super conductors

4. Thermodynamics — Law of thermodynamics, work, heat, energy. State functions — E, H, S and G and their significance criteria for chemical equilibrium and sponteinity of reactions. Variations of free energy with T, P and V Gibbs Helmhotts equation. Entropy changes in gases for reversible and irreversible processes. Hess law Bond energy.

5. Chemical kinetics and catalysis — Order and molecularity, chemical kinetics and its scope, rate of a reaction, factors influencing rate of reaction. Rate equations of zero, first and second order reactions. Pseudo order, half life and mean life. Determination of order of reactions. Theories of chemical kinetics — collision theory, transition state theory, Arrhenius equation, concept of activation energy, effect of temperature on rate constant.

Catalysis, characteristics of catalysed reactions, theories of catalysis, examples.

6. Electrochemistry — Electronic conduction in electrolytic solutions, specific, equivalents and molar conductances, effect of dilution on them, cell constant, experimental method of determining conductance.

Migration of ions and Kohlrausch, law. Arrhenius theory of electorlytic dissociation and its limitations, weak and strong electrolytes Ostwald's dilution law, its uses and limitations Debye - Huckel Onsager's equation (elementary treatment) Transport number - definition, determination by Hittor method.

Galvanic cells, electrodes and electrode reactions, Nernst equation, E.M.F. of cells, Hydrogen electrode, electrochemical series, concentration cell and their applications p^H. Buffer solutions theory of buffer action,

7. Transition and inner transition metals and complexes — General characteristics of d-block elements, co-ordination components - nomenclature, isomerism and bonding in complexes V.B. theory and crystal field theory. Werners theory, eAN metal carbonyls, cyclopentadienys, olefin and acetylene complexes.

Compounds with metal-metal bonds and metal atom clusters.

General chemistry of f-block elements Lanthanides and actinides - ionic radic, separation, oxidation states, magnetic and spectral properties.

8. Non-aqueous solvents — Physical properties of a solvent, types of solvents and their general characteristics, reactions in non-aqueous solvents with reference to liqued NH3 and liquid SO_2.

9. Photochemistry — Interaction of radiation with matter, difference between thermal and photochemical processes. Lawa of photochemistry — Grothus-Drapper law, stark-Einstein law, Jablonski diagram. Fluerescence. phosphorescence, Quantum yield Photoelectric cells.

10. Hard and soft arids and bases — Classification of acids and bases as hard and soft, Pearson's HSAB concept, acid-base strength and hardness and softness, symbiosis, theoretical basis of hardness and softness, symbiosis, theoretical basis of hardness and softness, electronegativity and hardness and softness.

11. Structure and Binding — Hybridization, bond lengths and bind angles bond energy, localized and delocalized chemical bond, van der Waals interactions, inclusion compounds, clatherates, charge transfer complexes, resonance, hyperunjugation, aromaticity, inductive and field effects, hydrogen bonding.

12. Mechanism of organic reactions — Homolytic and heterolytic bond breaking, types of reagents - carbocations. and nucleophiles, types of organic reactions, Reactive intermediates - Carbocations, carbanions, free radicals, carhbenes, arynes and nitrenes (with examples) Different types of addition, substitution and elimination reactions - SN^1, SN^2, SN^i, E_1, E_2, E_{1cb} etc.

13. Stereochemistry of Organic Compounds — Isomerism, Optical isomerism - elements of symmetry, molecular chirality, enantiomers, stereogenic centre, optical activity properties of enantiomers, chiral and achiral moleculers with tar stereogenic centres, diastereomers. threo and erythro diastereomers, meso compounds, resolution of enantiomers. inversion, retention and racemizarion.

Relative and absolute configuration requence rule, D & L and R & S nomenclature.

Geometric isomerism: Determination of configuration of geometric isomers - E & Z nomenclature, geometric isomerism ot oximes and alecyclic compounds. Configuration and confurmation, conformations of ethane, butane and cyclohexane.

14. Organometallic Compounds — Organometallic compounds of Mg. Li & Zn their formation, preparation, structure and systhetic applications.

15. Organic Synthesis via enolates — Acidity of **α**-llydrogens, preparation, properties and synthetic applications of diethyl malonate and eithyl acctoacetate, keto-enol tautomeins.

16. Carbohydrates — Classification and nomenclature Monosaceharides, mechanism of asazone formation, interconversion of glucose and fructose, chain lengthening and chain shortening of aldoses and ketoses, Anomers and epimers Formation of glycosides, ethers and esters Ring structure of glucose and fructose mechanism of mutarotation.

17. Polymers — Addition or chain growth polymerization. Free radical vingt polymerization, ionic vingl polymerizations, Ziegler - Natta polymerization and vinigl polymers. Condensation or step-growth polymerization, Polyesters, polyamider, phenol-formaldelyde resins, urea-formaldelyde resins, epoxy.resins and polyurethanes.

Natural and synthetic rubbers. Inorganic polymeric systems - silicones and phosphazenes, nature of bonding in triphosphazenes

18. Study of following types of organic compounds :

a. Alkanes and cycloalkanes — Preparation of alkanes - wartz reactions Kolbe reaction, Corey - House reaction etc physical and chemical properties, free-radical halogenation of alkanes - reactivity and selectivity.

Cycloalkanes : Nomenclature, formation, properties - Baeger's strain theory

b. Alkenes, cyclocalkenes, Dienes & Alkynes — Mechanism of dehydration of alcohols, and delydrogenation of alkyl halides, regioselectivity in alcdhol dehydration. The saytzeff rule, Hofmanu elimination Mechanisn involved in hydrogenation, electrophilic and free radical additions,

markownikoffs rule, kharasch effect, hydroboration - oxidation, oxymercuration - reduction, Epoxidation, Ozonolysis, hydration, hydroxyltion and oxidation with KMnOu. Polymenization.

Substitution at the allylic and vinylic positions of alkenes. Uses Dienes: Classificatin, preparation, properties Alkyness : Preparation, properties, acidic reactions of alkynes, mechanism of electrophilic and nucleophilic addition reactions, hydroboration - oxidation, metal-ammonia reductins, oxidation and polymerization.

c. Arenes and Aromaticity — Aromaticity : The Huckel rule, arematic ions, M.O. diagram, anti-aromatic, Aromatic electrophilic substitution — Mechanism, role of σ and π complexes. Mechanism of nitration, halogenters sulphonation, mercuration and Friedel Crafts reaction. Energy profile diagram, activating and deactivating substituents, orientation, ortho-para ratio. Side-chain reactions of benzene derivatives. Birch reduction.

19. Study of some reactions — Pinacol - pinacotone rearrangement, aldol reaction, perkin reaction. Cannizzaro's reaction, Mannich reaction, Clemmensen reduction, claisen rearrangement, Peimer Tiemann reaction, Friedel crafts reaction, Fries rearrangement. Reformatsky reaction.

20. Spectroscopy — Basic principles of the following type of spectroscopy and their applications in determining structures.

a. UV - Visible spectroscopy
b. IR - "
c. NMR - "
d. Mass - "
e. ESR - "(cemplexes)

विषय इतिहास (History)

Section-A

1. Sources and approaches to study of early Indian history.

2. Early pastoral and agricultural communities. The archaeological evidence.

3. The Indus Civilization; its origins, nature and decline.

4. Patterns of settlement, economy, social organization and religion in India (c. 2000 to 500 B.C.) : agchaeological perspectives.

5. Evolution of north Indian society and culture: evidence of Vedic texts (Samhitas to Sutras).

6. Teachings of Mahavira and Buddha. Contemporary society, early phase of state formation and urbanization.

7. Rise of Magadha; the Mauryan empire. Ashoka‘s inscriptions; his dhamma nature of the Mauryan state.

8.. Post-Mauryan period in northern and peninsular India; Political and administrative history, Society, economy, culture and religion. Tamilaham and its society; the Sangam texts.

9. **India in the Gupta and post-Gupta period (to c.750);** Political history of northern and peninsular India,Samanta system and changes in political structure; economy; social structure; culture; religion.

10. Themes in early Indian cultural history; languages and texts; major stages in the evolution of art and architecture, major philosophical thinkers and schools; ideas in science and mathematics.

Section-B

1. India, 750-1200; Polity, society and economy. Major dynasties and political structures in North India. Agrarian structures. : Indian feudalism; Rise of Rajputs. The Imperial Cholas and their contemporaries in Peninsular India. Villagle communities in the South. Conditions for women. Commerce mercantilegroups and guids; towns. Problem of coinage. Arab conquest of Sind; the Ghaznavide empire.

2. India, 750-1200: Culture, Literature, Kalhana, historian. Styles of temple architecture; sculpture. Religious thought and institutions; Sankaracharya's vedants. Ramanuja. Growth of Bhakti, Islam and its arrival in India. Sufism. Indian science. Alberuni and his study of Indian science and civilization.

3. The 13th Century. The Ghorian invasions. Factors behind Ghorian success. Economic social and cultural consequences. Foundation of Delhi Sultanate. The "Slave" Dynasty. Illtutmish; Balban. "The Khalji Revolution". Early Sultanate architecture.

4. The 14th Century. Alauddin Khalji's conquests; agrarian and economic measures. Muhammad Tughluq's concessions and public works. Decline of the Sultanate. Forcing contacts; Ibn Battuta.

5. Economy society and culture in the 13th and 14th centuries. Caste and slavery under sultanate. Technological changes. Sultanate architecture. (Persian literature: Amir Khusrau, Historiography; Ziya Barani, Evolution of a composite culture. Sufism in North India. Lingayats. Bhakti schools in the south.

6. The 15th and early 16th Century (Political History) Rise of Provincial Dynasties; Bengal, Kashmir (Zainul Abedin), Gujarat, Malwa, Bahmanids. The Vijayanagra Empire. Lodis, Mughal Empire. First phase: Babur, Humayun. The Sur Empire. Sher Chash's administration. The Portuguese colonial enterprise.

7. The 15th and early 16th Century (society, economy and culture). Regional cultures and literatures, provincial architectural styles. Society, culture, literature and the arts in Vijayanagara Empire. Monotheistic movements: Kabir and Guru Nanak. Bhakti Movements: Chitanya. Sufism in its pantheistic phase.

8. **Akbar:** His conquests and consolidation of empire. Establishment of jagir and mansab systems. His Rajput policy. Evolution of religious and social outlook. Theory of Sulh-i-kul and religious policy. Abul Fazl. thinker and historian. Court patronage of art and technology.

9. Mughal empire in the 17th Century. Major policies (administrative and religious) of Jahangir. Shahjahan and Aurangzeb. The Empire and the Zamindars. nature of the Mughal state. Late 17th Century crisis : Revolts. The Ahom kingdom, Shivaji and the early maratha kingdom.

10. Economy and society, 16th and 17th Centuries. Population. Agricultural and craft production. Towns, commerce with Europe through Dutch, English and French companies - a "trade revolution". Indian mercantile classes, banking, insurance and credit systems. Conditions of peasants, famines. Condition of Women.

11. Culture during Mughal Empire. Persian literature (including historical works) Hindi and religious literatures. Mughal architecture. Mughal painting. Provincial schools of architecture and painting. Classical music. Science and technology. Sawai Jai Singh, astronomer. Mystic eclecticism: Dara Shukoh. Vaishnav Bakhati. Mahrasthra Dharma. Evolution of the Sikh community (Khalsa).

12. **First half of 18th Century :** Factors behind decline of the Mughal Empire The regional principalities (Nizam's Deccan, Bengal, Awadh). Rise of Maratha ascendancy under the Peshwas. The maratha fiscal and financial system. Emergency of Afghan Power. Panipat, 1761. Internal weakness political cultural and economic, on eye of the British conquest.

Section-C

1. **Establishment of British rule in India :** Factors behind British success against Indian powers- Mysore. Maratha Confederacy and the Punjab as major powers in resistance; Policy as subsidiary Alliance and Doctrine of Lapse.

2. **Colonial Economy :** Tribute systom. Drain of wealth and "deindustrialisation', Fiscal pressures and revenue settlements (Zamindari, Ryotwari and Mahalwari settlements); Structure of the British raj up to 1857 (including the Acts of 1773 and 1784 and administrative organization).

3. **Resistance to colonia rule :** Early uprisings; Causes, nature and impact of the Revolt of 1857; Reorganisation of the Raj, 1858 and after.

4. **Socio-cultural impact of colonial rule :** Official social reform measures (1828-57); Orientalist-Anglicist controversy; coming of English education and the press; Christian missionary activities; Bengal Renaissance; Social and religious reform movements in Bengal and other areas; Women as focus of social reform.

5. **Economy 1858-1914 :** Railway; Commercialisation of Indian agriculture; Growth of landless labourers and rural indebtedness; Famines; India as market for British industry; Customs removal, exchange and countervailing excise; Limited growth of modern industry.

6. **Early** Indian **Nationalism :** Social background; Formation of national associations; Peasant and tribal uprising during the early nationalist era; Foundation of the Indian National Congress; The

Moderate phase of the Congress; Growth of Extremism, The Indian Council Act of 1909; home Rule Movement; The Government of India Act of 1919.

7. **Inter-War economy of India :** Industries and problem of Protection; Agricultural distress; the Great Depression; Ottawa agreements and Discriminatory Protection; the growth of trade unions; The Kisan Movement; The economic programme of the Congress 'Karachi resolution, 1931'.

8. **Nationalism under Gandhi's leadership:** Gandhi's career, thought and methods of mass mobilization; Rowlatt Satyagraha, Khilafat-Non Co-operation Movement. Civil Disobedience Movement. 1940 Satyagraha and Quit India Movement, State People's Movement.

9. **Other strands of the National Movement:**

a) Revolutionary movements since 1905; (b) Constitutional politics; Swarajists. Liberals, Responsive Co-operation; (c) Ideas of Jawharlal Nehru, (d) The Lift (Socialists and Communists); (e) Subhas Chandra Bose and the Indian National Army; (f) Communal strands : Muslim League and Hindu Mahasabha; (g) Women in the national movement.

10. **Literary and cultural movements :** Tagore, Premchand, Subramanyam Bharati, Iqbal as examples only; New trends in art; Film industry; Writers Organisations and Theatre Associations.

11. **Towards Freedom :** The Act of 1935; Congress Ministries, 1937-1939; The Pakistan Movement; Post- 1945 upsurge (RIN Mutiny, Telangana uprising etc.,); Constitutional negotiations and the Transfer of Power, 15 August 1947).

12. **First phase of Independence (1947-64) :** Facing the consequences of Partition; Gandhiji's n ^rder; economic dislocation; Integration of States; The democratic constitution, 1950; Agrarian reforms; Building an industrial welfare state; Planning and industrialization; Foreign policy of Non-alignment; Relations with neighbours.

13. **Enlightenment and Modern ideas:**

1. Renaissance Backgroung
2. Major Ideas of Enlightenment: Kant, Rousseau
3 Spread of Enlightenment outside Europe
4. Rise of socialist ideas (to Marx)

14. **Origins of Modern Politics;**

1. European States System
2. American Revolution and the Constitution.
3. French revolution and after math. 1789-1815.
4. British Democratic Politics, 1815-1850, Parliamentary Reformers, Free Traders, chartists.

15. **Industrialization:**

1. English Industrial Revolution : Causes and impact on Society
2. Industnalization in other countries; USA, Germany, Russia, Japan
3. Socialist Industrialization : Soviet and Chinese.

16. Nation-State System:

1. Rise of Nationalism in 19th century
2. Nationalism : state-building in Germany and Italy
3. Disintegration of Empires through the emergence of nationalities.

17. Imperialism and Colonialism:

1. Colonial System (Exploitation of New World, Trans-Atlantic Slave Trade, Tribute from Asian Conquests
2. Types of Empire; of settlement and non-settlement: Latin America, South Africa, Indonesia, Australia.
3. Imperialism and Free Trade ; The New Imperialism

18. Revolution and Counter-Revolution:

1. 19th Century European revolutions
2. The Russian Revolution of 1917-1921
3. Fascist Counter-Revolution, Italy and Germany.
4. The Chinese Revolution of 1949

19. World Wars:

1. 1st and 2nd World Wars as Total Wars: Societal Implications
2. World War I: Causes and Consequences
3. World War II: Political Consequence

20. Cold War:

1. Emergence of two Blocks
2. Integration of West Europe and US Strategy: Communist East Europe
3. Emergence of Third World and Non-Alignment
4. UN and Dispute Resolution

21. Colonial Liberation:

1. Latin America-Bolivar
2. Arab World-Egypt
3. Africa-Apartheid to Democracy
4. South-East Asia-Vietnam

22. Decolonization and Underdevelopment:

1. Decolonization : Break up of colonial Empires : British, French, Duth
2. Factors constraining Development: Latin America, Africa

23. Unification of Europe:

1. Post War Foundations : NATO and European Community
2. Consolidation and Expansion of European Community/European Union.

24. Soviet Disintegration and the Unipolar World:

1. Factors in the collapse of Soviet communism and the Soviet Union, 1985-1991
2. Political Changes in East Europe 1989-1992
3. End of the Cold War and US ascendance in the World
4. Globalization

विषय भौतिक शास्त्र (Physics)

MECHANICS, THERMAL PHYSICS AND WAVES AND OSCILLATIONS

1. Mechanics : Conservation Laws, Collisions, impact parameter, scattering cross-section, centre of mass and lab systems with transformation of physical quantities, Rutherford Scattering. Motion of a rocket under constant force field. Rotating frames of reference, Coriolis force, Motion of rigid bodies, Angular momentum, Torque and procession of a top, Gyroscope, Central forces, Motion under inverse square law, Kepler's Laws, Motion of Satellites (including geostationary). Galilean Relativity, Special Theory of Relativity, Michelson-Morley Experiment, Lorentz Transformations - addition theorem of velocities, Variation of mass with, Velocity, Mass- Energy equivalence. Fluid dynamics, streamlines, turbulance, Bernoullis Equation with simple applications.

2. Thermal Physics : Laws of thermodynamics, Entropy, Carnot's cycle. Isothermal and Adiabatic Changes, Thermodynamic Potentials Maxwell's relations. The Clausius-Clapeyren equation reversible cell, Joule-Kelvin effect etc. fan Boltazmann Law, Kinetic Theory of Gases, Maxwell's Distribution Law of velocities, Equipartition of energy, Specific heats of gases. Mean Free path, Brownian Motion. Black Body radiation, specific heat of solid-Einstean & Dbye theories, wein's Law, Planck's Law. SolarConstant. Thermalionization and Stellar spectra-production of law temperatures using adiabatic demagnatization and dilution refrigeration, Concept of negative temperature.

3. Waves and Oscillations : Oscillations, Simplo harmonic motion, stationary and travelling waves, Damped harmonic motion. Forced oscillation & Resonance. Wave equation, Harmonic Solutions, Plane and Spherical waves. Superposition of waves, Phase and Group velocities, Beats Huygen’s principle. Interference. Differaction-Fresnee and Fraunhofer. Diffraction by straight edge, Single and multiple slits, Resolving power of grating and Optical Istiments. Ravleigh Criterion. Polarization; Production and Detection of polarized light (linera. circular and elliptical). Laser sources (Helium-Neon, Ruby, and semiconductor diode). Concept of spatial and temporal coherence. Diffraction as a Fourier transformation. Fresnel and Fraunhofer diffraction by rectangular and circular apertures, Holography, theory and applications.

ELECTRICITY & MAGNETISM, MODERN PHYSICS AND ELECTRONICS

1. Electricity & Magnetism : Coulmb's Law, Electric field. Gauss’s Law. Electric-potential, Possion and Laplace equations for a homogeneous dielectric, uncharged conducting Plane. Magnetic Shell Magnetic induction and field strength. Blot-Savart law and applications. Electro-magnetic induction, Faraday's Lenz's laws, Self and mutual inductances. Alternating currents. L.C.R circuits series and parallel resonance circuits, quality factor. Kirchoffs laws with application. Maxwell's equations and electromagnetic waves, Transverse nature of electromagnetic waves. Poynting vector, magnetic fields in matter—dia, para, ferro antiferro and ferri magnetism (qualitative approach only).

2. Modern Physics : Bohr's theory of hydrogen atom. Electron spin, Optical and X-ray Spectra. Stcrn- Gerlach experiment and spatial quantization. Vector model of the atom, spectral terms, fine structure of spectral lines. J-J and L-S coupling. Zeeman effect, paull's exclusion principle, spectral terms of two equivalent and non-equivalent electrons. Gross and fine structure of electronic band Spectra. Raman effect Photoelectric effect. Compton effect, debroglie waves. Wave particle duality and uncertainty principle. Schrodinger wave equation with application to (i) particle in a box. (ii) motion across a step potential, One dimensional harmonic oscillator eigen values and eigen functions. Uncertainty Principle R3dio activity, Alpha, beta and gamma radiations. Elementary theory of the alpha decay. Nuclear binding energy. Mass Spectroscopy, Semi empirical mass formula. Nuclear fission and fusion. Elementary Reactor physics. Elementary particles and their classification. Strong, and Weak Electromagnetic interactions. Particle accelerators ; Cyclotraon. Leniar accelerations, Elementray ideas of Super conductivity.

3. Electronics : Band theory oi Soliuds : Conductors, insulators and semiconductors, Intrinsic and extrinsic semiconductors. P-N junction. Thermist of, Zenner diodes and transistors for rectification, amplification, oscillation modulation and detection of r.f. waves. Transistor receiver. Television Logic Gates.

15. मेधा सूची:–

(i) प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित होने पर आयोग द्वारा विवरणिका की कंडिका 14.1 की टिप्पणी के आलोक में प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा–सूची (Common merit list) तैयार की जायेगी और **प्रत्येक पद के संदर्भ में** कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के 15 गुणा अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिये किया जायेगा।

(ii) मेधा–सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हे अपेक्षाकृत उपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी वर्त्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा।

(iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में रियायत रहित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(iv) मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र – 2 में प्राप्त अंक के आधार पर सामान्य मेधा–सूची तैयार की जायेगी और तदुपरान्त रिक्तियों के अनुसार आरक्षणवार/पदवार सूची गठित होगी। मुख्य परीक्षा के द्वितीय पत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम अर्हतांक 45 प्रतिशत तथा अन्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 50 प्रतिशत होगा। कोटि

अनुसार उपयुर्क्त से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा–सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

(v) मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र–2 के प्राप्तांक के आधार पर मेधा–सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से प्रमाण पत्रों की जांच करायी जायेगी एवं मेधा के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी। तत्पश्चात् आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अंतिम अनुशंसा संबंधित विभाग को भेजी जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी उम्मीदवार के दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधा सूची से क्रम के अनुसार उम्मीदवारों को प्रमाण–पत्रों के जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

16. <u>नियुक्तिः–</u>

(i) परीक्षा में सफलता सेवा में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(ii) किसी अभ्यर्थी को सेवा के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह ऐसी चिकित्सीय जांच, जिसे झारखण्ड सरकार विहित करे, के पश्चात् किसी मानसिक या शारीरिक त्रुटि से मुक्त पाया गया हो, जिससे सेवा के कत्तव्यों के निर्वहन में व्यवधान उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(iii) सेवा में नियुक्तियाँ समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1), एवं महिलाओं के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. **आवेदन पत्र का शुल्कः–**

आवेदन पत्र का शुल्क रू0 500 (पांच सौ रूपये) है।

आवेदन पत्र शुल्क में छूटः– झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये आवेदन शुल्क रू0 125 (एक सौ पच्चीस रूपये) है रियायती शुल्क पर online आवेदन पत्र झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों अथवा झारखण्ड राज्य से बाहर के निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है।

(III) आवेदक अपने नाम की वर्त्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्त्तनी (spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।

(IV) आवेदक के मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा – तिथि, महीना और वर्ष है, वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखेंगे।

(V) आवेदक आवेदन पत्र में फोटो चिपकाने हेतु छोड़ी गयी खाली जगह में अंकित निर्देषों का अक्षरषः पालन करेंगे। उम्मीदवार का फोटो हाल का होना चाहिये। फोटो से अभ्यर्थी का चेहरा पूर्ण रूपेण एवं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होना चाहिए। धूप चश्मा/टोपी के साथ खींचे गये फोटोग्राफ का व्यवहार नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र में सभी सूचनाएँ भरा जाना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन Submit नहीं हो पायेगा।

18. <u>अन्यान्य</u>

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के प्रावधान संशोधनों सहित प्रभावी होगा।
2. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविष्टियों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/अभिभावक द्वाराः–

(i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,

(ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,

(iii) प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण–पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :–

(क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।

(ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

(ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरूद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :–

(i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।

(ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।

(iii) निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं करना।

(iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।

(v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।

(vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो।
इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।

(ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।

(x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।

(xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।

(xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।

(xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा शुल्क भुगतान से पहले अपने द्वारा की गई प्रविष्टियों की जाँच वे स्वयं कर ले तथा उसकी शुद्धता से आश्वस्त हो ले। आवेदन पत्र में अशुद्ध/असत्य प्रविष्टि के लिए आवेदक ही स्वयं उत्तरदायी होंगे। आवेदक अपने आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें।

(xv) वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हे संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों

में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाईल फोन, पेजर अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का मुल्यवान अथवा कीमती वस्तु नहीं ले जायें। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जायें। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा। अभ्यर्थी अपना आवेदन आयोग को भेजते समय आवेदन पत्र का क्रमांक अपने पास लिखकर सुरक्षित रखे।

(xvii) आयोग को अपरिहार्य कारणो से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्त्तन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

परीक्षा नियंत्रक

परिशिष्ट (I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जा.नि. –19–11/2008 का.–5682 दिनांक– 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

.....

(कार्यालय का नाम)
जाति प्रमाण–पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या–..... तिथिः–.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री ..... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला .....डाकघर. ..... थाना ..... जिला ..... राज्य..... अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत..... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा....., शहर....., जिला....., राज्य.....में निवास करते हैं।

स्थान :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम .....

दिनांक :– पदनाम .....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

————————

परिशिष्ट (II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जाति–19–11/2008 का.–10007 दिनांक– 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री ..... ग्राम/शहर ..... थाना ..... जिला ..... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक– 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक– 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :–

दिनांक :–

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम .....
पदनाम .....
(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

परिशिष्ट (III)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14 / स्थानीयता. नीति–14–03 / 2016 का.–4650 दिनांक– 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

.....

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं0 :– दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री ..... पिता / पति श्री..... पता–ग्राम / वार्ड / शहर..... पो0.....थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक– 18.04.2016 की कंडिका– ..... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :–

दिनांक :–

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम

एवं पदनाम